भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – †1796

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों का संरक्षण

†1796. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक परम्पराओं और रीति-रिवाजों को धर्मांतरण के माध्यम से स्थायी रूप से नष्ट किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाकर जनजातीय संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (च): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रालय "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" और "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम" की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत जनजातीय समुदायों की जनजातीय संस्कृति, अभिलेखों, कलाकृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। उल्लेखनीय कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

(i) जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को मान्यता प्रदान करने तथा क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय ने 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है।

(ii) मंत्रालय ने खोज योग्य डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की है, जहाँ सभी शोध पत्र, पुस्तकें, रिपोर्ट और दस्तावेज, लोकगीत, फोटो/वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इस रिपोजिटरी में वर्तमान में 10,000 से अधिक फोटो, वीडियो और प्रकाशन हैं, जो ज्यादातर जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा किए गए हैं। रिपोजिटरी को

https://repository.tribal.gov.in/ (जनजातीय डिजिटल दस्तावेज़ रिपोजिटरी) और https://tribal.nic.in/repository/ (जनजातीय रिपोजिटरी) पर देखा जा सकता है।

(iii) नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव, तेलंगाना के मेदाराम जात्रा जैसे राज्य स्तरीय उत्सवों को टीआरआई योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। देश भर के जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक को लोक नृत्यों, गीतों, व्यंजनों, चित्रकला, कला और शिल्प, औषधीय प्रथाओं आदि में पारंपरिक कौशल की प्रदर्शनी और प्रदर्शन के अद्वितीय माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए राज्य जनजातीय महोत्सव, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

(iv) ट्राइफेड जनजातीय उत्पादकों के आधार का विस्तार करने के लिए राज्यों/जिलों/गांवों में स्रोत (सोर्सिंग) स्तर पर नए कारीगरों और नए उत्पादों की पहचान करने के लिए जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) का आयोजन करता है।

(v) राज्यों के नृवंशविज्ञान संग्रहालय विभिन्न जनजातियों के जीवन और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित करते हैं।

(vi) "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)" के अंतर्गत, प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों ने जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतराल (गैप) को पूरा करने और जनजातीय कार्य से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों/संस्थाओं की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शोध अध्ययन/पुस्तकों के प्रकाशन/श्रव्य-दृश्य वृत्तचित्रों सहित दस्तावेजीकरण किया है।

(vii) संस्कृति मंत्रालय जनजातीय संस्कृति सहित संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए नोडल मंत्रालय है। इसके अलावा, जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों की सुरक्षा, संरक्षण, अनुरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपाय हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में लोक कला और जनजातीय संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालयों के साथ सात आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं। संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। इसके अलावा, इसमें ऐसे राज्यों में राज्यपाल की विशेष शक्तियों का प्रावधान है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 में इसी तरह ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों को परंपराओं और रीति-रिवाजों तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में लागू छठी अनुसूची सामाजिक रीति-रिवाजों के मामलों में जिला और आंचलिक परिषदों को सशक्त बनाती है। इसमें पहले उल्लिखित टीआरआई और टीआरआई-ईसीई को सहायता की योजनाएं और इसके तहत की जाने वाली गतिविधियां भी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

*****